(ग) क्या इस उपक्रम के दागदार अधिकारियों के विरुद्ध 350 कर्मचारियों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन को प्रधानमंत्री के कार्यालय में दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार तमाम हालातों एंव निगम को खस्ताहाल में डालने वाले अधिकारियों के खराब कारनामों को ध्यान में रखते हुये उनकी जिम्मेदारी तय करके क्या कार्वाई करने का विचार रखती है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन के विभिन्न विभागों/इकाइयों की कार्यप्रणाली के समग्र निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।

(ख) टेंडर नियुक्ति अथवा पदोन्नति के मानदंडों का गंभीर रूप से उल्लंघन करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन अधिकारी कल्याण संघ से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिस पर कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना

1450. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य वस्तुओं में मिलावट संबंधी समस्या से कारगर तौर पर निपटने के लिए देश के वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने के संबंध में कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार आयोग की स्थापना करने के लिए क्या निर्णय लेने का विचार रखती है और कब तक?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ग) दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि विभिन्न संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के 12 मंत्रियों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हो अथवा कोई वरिष्ठ मंत्री हो। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Addition of Fruit Juice by soft Drink Makers

1451. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that France requires soft drink makers to add a certain percentage of fruit juice;

(b) whether it adds to the nutritive value of these drinks and also helps the fruit growers in a big way;

(c) whether Government would consider following the French example;

(d) if so, by when and to what percentage; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Ministry of Food Processing Industries has stated that, as per information available, it is mandatory in France to add a certain percentage of fruit juice for fruit based drinks but not for sweetened aerated waters.

(b) Under the Fruits Products Order and Prevention of Food Adulteration Act, there is a provision for adding a minimum 10 percent fruit juice or pulp in fruit based drinks. However, this cannot be made compulsory for sweetened aerated waters.

(c) to (e) There is no proposal to amend the distinct provisions of the Indian laws on the subject and it is not considered necessary follow the French Regulations.

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

1452. **श्री कपिल सिब्बल :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता और लापरवाही के कारण होने वाले भारी नुकसानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान ढांचे में भारी सुधार करना आवश्यक समझती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार लापरवाही और अकुशलता के कारण वहां होने वाले गबन और घोटालों इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निगम में गबन, भ्रष्टाचार, लापरवाही और अक्षमता से संबंधित मामलों पर रोक लगाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और सरकार दोनों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

सतर्कता संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय स्तर पर सचिव (खाद्य और नागरिक पूर्ति) की अध्यक्षता में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। आंतरिक समीक्षा करने के पश्चात् कमियों की गणना और सूचना देने संबंधी संशोधित प्रक्रिया अपनाई गई है जिला कार्यालयों का अधिक बार निरीक्षण किया जाता है।

गबन, भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने और आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए सतर्कता तंत्र को सक्रिय बनाया गया है।

चीनी का आयात

1453. **श्री डी०पी० यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत ने विदेशों से कुल कितनी चीनी आयात की है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में प्रचुर चीनी भंडार होते हुए भी ओ०जी०एल० के अंतर्गत पांच प्रतिशत सीमा शुल्क और 850/- रुपये प्रति मीटरी टन की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी पर चीनी का आयात होने के कारण चीनी उद्योग के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 3.30 लाख टन चीनी का आयात हुआ।

(ख) और (ग) चीनी मौसम 1997-98 (अक्तूबर से सितम्बर) के आरंभ में 66.00 लाख टन चीनी का अथशेष स्टाक था और चीनी मौसम 1997-98 के दौरान 128.30 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि चीनी की अनुमानित खपत 139.8 लाख टन थी। चीनी मौसम 1997-98 में 6.96 लाख टन चीनी अनंतिम रूप से आयात होने का अनुमान लगाया गया था जो कि चीनी मौसम 1997-98 में हुए चीनी के उत्पादन का मात्र 5.43% है। चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों अर्थात् इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि चीनी का अत्यधिक आयात हो रहा है और उन्होंने चीनी के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने की मांग की है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

Transfer Policy for Ayurvedic Doctors in Delhi

1454. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any transfer policy of Government with regard to Ayurvedic doctors in Delhi;

(b) the details of doctors posted in Delhi, CGHS Ayurvedic Dispensary-wise, wtih the dates of their posting in that dispensary;

(c) whether some doctors are being transferred frequently without any reasons thereby causing harassment to them;

(d) whether Ayurvedic doctors in Delhi are detailed to the rotational month–wise duty; if so, whether the same practice is being followed in respect of Homoeopathic, Siddha, Unani, etc; and

(e) if not, the reasons for detailing as above in case of Ayurvedic doctors only?